न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार –।

राजस्व आवेदन सं. 151/2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कुर्बान अली पुत्र साहेबना 2. मदद अली पुत्र साहेबना, जाति–मुसलमान नि0 पाबुसरी, तह0 गडरारोड़		1. राजस्थान तहसीलदार गडरारोड़। 2. जसपाल पुत्र नियाराम 3. पदमा देवी पत्नी नियाराम 4. दामाराम पुत्र महादान जाति–मेघवाल, नि0 पाबुसरी, तह0 गडरारोड़ 5. करीमा पत्नी ताहर, जाति–मुसलमान, नि0 खलीफे की बावडी, तह0 गडरारोड़

उपस्थित :– 1. श्री ईश्वरसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. राज पेरोकार तहसीलदार प्रतिवादी संख्या 1

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 आर.एल.आर. एक्ट

–: आदेश:–

दिनांक : –30/12/2025

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा–पाबुसरी, पटवार मण्डल–खलीफे की बावडी तह0 गडरारोड़ के खेत खाता संख्या 26 खसरा नम्बर 83 रकबा 3.1080 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 2 से 5 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 763/83, 764/83, 762/83 रकबा क्रमशः 1.4892, 6.4750, 4.8562 हैक्टेयर भूमि पूर्व मे मूल खसरा नम्बर 83 का ही भाग है। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर वक्त सेटलमेन्ट से मौके पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां व पानी के टांके बने हुऐ है। प्रार्थीगण के खसरे की तरमीम पूर्व में अंकित नही थी। राज्य सरकार द्वारा जारी सेग्रीकेशन अभियान के तहत लट्ठा नक्शा में खातेदारान् की तरमीम बिना किसी खातेदार को सूचित किये राजस्व कर्मचारियों ने अपनी मन मर्जी से पक्षकारान् के कब्जे के विपरीत तरमीम अंकित कर दी जिससे पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा की तरमीम मे भारी भिन्नता उत्पन्न हो गई है। जिसे दुरस्त करवाने के प्रार्थीगण विधिक अधिकारी होने से प्रार्थीगण द्वारा यह आवेदन तरमीम दुरस्ती का पेश किया है।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थी संख्या 01 से 05 के नोटिस जरिये रजिस्टड डाक से प्राप्त के बावजूद अनु0। अतः विप्रार्थी सख्या 02 से 5 के विरूद्व दिनांक 07.08.2025 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा–पाबुसरी, पटवार मण्डल– खलीफे की बावडी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 83, 763/83, 764/83, 762/83 रकबा क्रमशः 3.1080, 1.4892, 6.4750, 4.8562 हैक्टेयर की वर्तमान लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम परिशिष्ठ–अ अनुसार दर्शाई गई है तथा मौके पर कब्जा काश्त मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार शुद्व किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार उभय पक्ष तरमीम दुरूस्त करवाने बाबत् सहमत है। मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार उभय पक्ष मौके पर काबिज है एवं इसी अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने पर उभय पक्ष सहमत भी है। मौके पर कब्जा काश्त एवं नक्शा ट्रेस में विद्यमान वर्तमान तरमीम एक दुसरे के विपरीत है। अतः मौके पर कब्जा काश्त एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में एकरूपता बनाये रखने के लिए तहसीलदार गडरारोड के पत्रांक कोर्ट/2025/1792 दिनांक 24.11.2025 से प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ठ–ब** अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा–पाबुसरी, पटवार मण्डल–खलीफे की बावडी, तह0 गडरारोड़ के खेत खसरा नम्बर 83, 763/83, 764/83, 762/83 रकबा कमशः 3.1080, 1.4892, 6.4750, 4.8562 हैक्टेयर के लट्ठा ट्रेस मे की गई तरमीम व ऑनलाईन नक्शा में कि हुई तरमिम को निरस्त करते हुए तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न **परिशिष्ट–ब** अनुसार नक्शा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार गडरारोड़ को इसी अनुसार लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार गडरारोड़ से प्राप्त मौका रिपोर्ट पत्रांक कोर्ट/2025/1792 दिनांक 24.11.2025 के संलग्न नक्शा **परिशिष्ट ब** इस आदेश का अंभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 30.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़ (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.02.18 11:17:32 IST
Reason: SelfAttested